(भारतसरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेलमंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 08/2020
GST Circular No. 05 /2020

2018/AC-II/1/14 18th January, 2020

General Managers,
All Zonal Railways/ Production Units

Sub : Matching of GSTR-2A data – Input Tax credit reconciliation

Railway Board wide letter no. 2018/AC-II/1/14 dated 30.12.2019 (RBA No. 111/2019) had brought out the processes that need to be followed by zonal railways/ production units in order to reconcile the Input Tax Credit amounts in IPAS data vis-à-vis GSTR-2A data and take appropriate action for any mismatch identified. As informed in the letter ibid, CRIS has brought out certain process that are followed in ASP Portal wherein invoice level matching is done between data available from IPAS system and data available in GSTR-2A on GSTN portal online. Based on this extensive matching activity performed on ASP portal, all the transactions/ invoices data is broadly divided into below mentioned 4 categories. All Zonal Railways/ Production Units are hereby requested to take below mentioned action on respective category of transactions:

S. No.	Category	Details of category	Action to be taken
1	Matched	Invoices for which all the details recorded in IPAS and uploaded by vendor are matched	All respective users at Zonal Railway/ Production Unit shall take 'Accept' action using the functionality on ASP portal
2	Only available in IPAS ***(refer Note-A below)***	Invoices which are recorded in IPAS but have not been uploaded by vendors	In case of such transactions, Zonal Railway/ Production Unit shall communicate with the respective vendors (as available in the invoice level data for this category) and get these invoices uploaded in vendor's GSTR-1 at the earliest.

18/1/2020

Scanned by CamScanner

S. No.	Category	Details of category	Action to be taken
3	Only available in GSTR-2A ***(refer Note-A below)***	Invoices which have been uploaded by vendors but the same have not been recorded in IPAS	In case of such transactions, Zonal Railway/ Production Unit shall verify: • Whether such invoices pertain to vendors of Indian Railways (IR)? • If such vendor does not pertain to IR, then user shall take 'Reject' action in ASP portal. • If such invoices pertain to IR, then it is possible that the same has not been passed and hence not available in IPAS.**Therefore, we may have to wait till the bill is passed by the concerned Railways and the same gets reflected in IPAS.**
4	Mismatched ***(refer Note-B and C below)***	Invoices recorded in IPAS and have been uploaded by vendors but certain details of invoice does not match such as value, GST amount, date, place of supply, etc	Zonal Railway/ Production unit can get the details on fields relating to each of these mismatches on ASP portal. Respective users are required to understand the mismatches in invoice data and verify the same with actual copy of invoice in order to identify whether it is a data recording mistake in IPAS or vendor has uploaded incorrect details. **Below action to be taken:** *A.* Where data is identified to be incorrect in IPAS: ***Users shall identify the list of fields in which correction is required in IPAS and provide such list to CRIS at the earliest. CRIS shall then provide facility to make changes in such fields to rectify the mistakes.*** B. Where data is identified to be incorrectly uploaded by vendors: ***Users may communicate the same to vendors to get the same corrected at the earliest in vendors' GSTR-1 return. MIS reports needs to be made available to enable the associate Executive Departments and Stores Departments to follow up with the vendors. Therefore these details must be shared with CRIS also.***

18/11/2020

Scanned by CamScanner

Notes:

A. In case of Category 2 and 3 mentioned above, there could be instances where invoice is recorded in IPAS in say, State-A, but vendor has reported the same invoice in say, State-B. In such cases, Zonal railway/Production unit shall identify whether it's a mistake in recording data in IPAS or vendor has reported incorrectly.

B. In case of invoices where mismatch is identified due to mistake done by vendor (including the mismatch as mentioned in Note-A above), vendor shall be communicated, on immediate basis, and shall be asked to make corrections in his GST returns. Below mentioned are the fields that can be amended/changed by vendor for a particular invoice:

   i. GSTIN of IR (i.e. recipient GSTIN)
   ii. Invoice Number
   iii. Invoice Date
   iv. GST rate
   v. Taxable Value and GST amount
   vi. Place of Supply
   vii. Tax type (i.e. IGST can be made CGST+SGST or vice versa)

C. In case of invoices where mismatch is identified due to mistake done in IPAS data recording, appropriate correction shall be made in the IPAS system. Below fields can be amended in IPAS:

S. No.	Field that can be amended	Protocol to be followed
1	Vendor GSTIN	This shall be verified from original invoice and shall be changed in case of mismatch. Any change shall be done with approval of competent officer as mentioned below.
2	GSTIN/ State of IR in which ITC is recorded	
3	Invoice Number	
4	Invoice Date	
5	GST Rate	Same steps as mentioned above shall be followed. Additionally, a journal entry will be required in IPAS for making this change. **Also, such change in input tax credit amounts shall be reported in the next GSTR-3B return.** **Further, in case it is also identified that payment to vendors is short/ excess made due to such errors in IPAS, it shall be ensured that refund of excess paid amount is recovered from vendors and any short paid amount is disbursed to the vendors.**
6	Tax type (i.e. IGST can be made CGST+SGST or vice versa)	
7	Taxable Value and GST amount	

18/1/2020

Scanned by CamScanner

All the activities brought out on previous pages need to be done in consultation with GST Consultants and **under the supervision of a gazette officer not less than JAG and above**. Protocol for correction of data shall be communicated to all the Zonal Railways and Production Units, after the data to be corrected is identified. **All the Zonal Railways/Production Units may complete this exercise latest by 14th February, 2020 positively. This may please be treated as most urgent in view of the financial implications involved in not being able to avail Input Tax Credit.**

18/1/2020

(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board;
4. Director/ Finance, CRIS, New Delhi;
5. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.
6. GM/Finance/IPAS, CRIS, New Delhi.

Scanned by CamScanner

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 08/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 05/2020

2018/एसी-II/1/14 18 जनवरी, 2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय : जीएसटीआर-2ए डाटा का मिलान---इनपुट टैक्स क्रेडिट समाधान

रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 30.12.2019 के पत्र सं. 2018/एसी-II/1/14 (आरबीए सं. 111/2019) के तहत उन प्रक्रियाओं को लाया गया जिनका अनुसरण क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा आईपीएएस डाटा में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के साथ जीएसटीआर डाटा को मिलाने और किसी गलत मिलान की पहचान होने पर उचित कार्रवाई के लिए किया जाना है । जैसा कि उक्त पत्र में सूचित किया गया है कि क्रिस ने कुछ प्रक्रिया निकाली हैं जिनका अनुसरण एएसपी पोर्टल में किया जाना है जहां आईपीएएस प्रणाली में उपलब्ध डाटा और जीएसटीएन पोर्टल ऑनलाइन पर जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध डाटा के बीच बीजक स्तर मिलान किया गया है । एएसपी पोर्टल में किए गए इस व्यापक मिलान संबंधी क्रियाओं के आधार पर, सभी संव्यवहारों/बीजकों के डाटा को मुख्यत: निम्नलिखित 4 कोटियों में विभाजित किया गया है । सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों से निवेदन है कि वे संव्यवहार की संबंधित कोटि पर निम्नलिखित कार्रवाई करें :

क्र.सं.	कोटि	कोटि का ब्यौरा	की जाने वाली कार्रवाई
1	मिलान किया गया डाटा	ऐसे बीजक, जिनके लिए ब्यौरे आईपीएएस में रिकॉर्ड किए गए तथा वे ब्यौरे जिन्हें वेंडर द्वारा अपलोड किया गया है, आपस में मिलते हैं ।	क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के सभी संबंधित यूज़र एएसपी पोर्टल पर कार्य करते हुए 'एक्सेप्ट' कार्रवाई करेंगे ।
2	केवल आईपीएएस में उपलब्ध <u>(नीचे दी गई</u>	ऐसे बीजक जो आईपीएएस में रिकॉर्ड हैं परंतु वेंडरों द्वारा अपलोड नहीं किए गए हैं	ऐसे संव्यवहारों के मामले में, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां संबंधित वेंडरों (इस कोटि के लिए बीजक स्तर डाटा में यथा

Scanned by CamScanner

	<u>**टिप्पणी-क देखें)**</u>		उपलब्ध) से संपर्क करेंगे और इन बीजकों को जल्द से जल्द वेंडर के जीएसटीआर-1 में अपलोड करवाएं ।
3	केवल जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध <u>**(नीचे दी गई टिप्पणी-क देखें)**</u>	ऐसे बीजक जिन्हें वेंडरों द्वारा अपलोड कर दिया गया है परंतु उन्हें आईपीएएस में रिकॉर्ड नहीं किया गया है ।	ऐसे संव्यवहारों के मामले में, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां सत्यापित करेंगी कि : • क्या ऐसे बीजक भारतीय रेल के वेंडरों से संबंधित हैं ? • यदि ऐसे वेंडर भारतीय रेल से संबंधित नहीं हैं तो यूज़र एएसपी पोर्टल में 'रिजेक्ट' की कार्रवाई करेगा । • यदि ऐसे बीजक भारतीय रेल से संबंधित हैं , तो यह संभव है कि इसे पास नहीं किया गया हो और इसलिए आईपीएएस में उपलब्ध न हो । <u>**अत: हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक संबंधित रेल द्वारा बिल पास नहीं कर दिया जाता और आईपीएएस में दिखाई नहीं देता।**</u>
4	डाटा का न मिलना **(नीचे दी गई टिप्पणी ख और ग देखें)**	बीजक आईपीएएस में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और वेंडरों द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं परंतु मूल्य, जीएसटी राशि, तिथि, आपूर्ति का स्थान आदि कुछ ब्यौरों का मिलान नहीं हो रहा	क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां एएसपी पोर्टल पर ऐसे प्रत्येक क्षेत्रों के ब्यौरे प्राप्त कर सकती हैं जिनके डाटा मैच नहीं करते हैं। संबंधित यूज़रों द्वारा बीजक के बेमेल डाटा को समझना और उसे बीजक की मूल प्रति से सत्यापित करना अपेक्षित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आईपीएएस में डाटा रिकॉर्ड करने में चूक है अथवा वेंडर द्वारा गलत ब्यौरे अपलोड किए गए हैं।

Scanned by CamScanner

			निम्नलिखित कार्रवाई की जाए : **क.** जहां आईपीएएस में गलत डाटा की पहचान की गई हो: **यूज़र उन क्षेत्रों की सूची की पहचान करेगा जहां आईपीएएस में सुधार करने की आवश्यकता है और ऐसी सूची जल्द से जल्द क्रिस को उपलब्ध करवाएं । तत्पश्चात गलतियों में सुधार करने के लिए क्रिस ऐसे क्षेत्रों में बदलाव करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा ।** ख. जहां यह पाया गया कि वेंडरों द्वारा गलत डाटा अपलोड किया गया है : **यूज़र इसके बारे में वेंडरों से बातचीत करे ताकि जल्द से जल्द वेंडरों के जीएसटीआर-1 रिटर्न में सुधार किया जा सके । संबद्ध कार्यपालक विभागों और भंडार विभागों को वेंडरों के साथ कार्यवाही करने के लिए एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए । अत: इन ब्यौरों को क्रिस के साथ भी साझा किया जाए।**

टिप्पणियां :

क. उपरलिखित कोटि 2 और 3 के मामले में, कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जैसे जहां बीजक आईपीएएस में स्टेट-ए में रिकॉर्ड किया गया हो लेकिन वेंडर ने वही बीजक स्टेट-बी में रिपोर्ट

Scanned by CamScanner

किया हो । ऐसे मामलों में क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां यह पहचान करें कि यह गलती आईपीएएस में डाटा रिकॉर्ड करने में हुई है या वेंडर द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है ।

ख. ऐसे बीजकों के मामलों में, जहां यह पहचान की गई है कि वेंडर द्वारा की गई गलती के कारण डाटा का मिलान नहीं हो रहा है (जिसमें उपरोक्त टिप्पणी-क में यथा उल्लिखित बेमेल डाटा शामिल है), वेंडर को तात्कालिक आधार पर सूचित किया जाए तथा उसे उसके जीएसटी रिटर्न में सुधार करने को कहा जाए । वेंडर द्वारा विशेष बीजक में संशोधन/परिवर्तन किए जा सकने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

i) भारतीय रेल की जीएसटीआईएन (अर्थात् जीएसटीआईएन प्राप्तकर्ता)

ii) बीजक संख्या

iii) बीजक की तारीख

iv) जीएसटी दर

v) करयोग्य मूल्य और जीएसटी राशि

vi) आपूर्ति का स्थान

vii) कर की किस्म (अर्थात् सीजीएसटी+एसजीएसटी से आईजीएसटी निकाला जा सकता है और विलोमत:)

ग. बीजक के ऐसे मामलों में जहां यह पाया गया हो कि आईपीएएस में डाटा रिकॉर्ड करने में हुई गलती के कारण डाटा का मिलान नहीं हो रहा हो, वहां आईपीएएस प्रणाली में उपयुक्त सुधार किए जाएं । आईपीएएस में निम्नलिखित क्षेत्रों में संशोधन किया जा सकता है :

क्र.सं.	**क्षेत्र जिसमें संशोधन किया जा सकता है**	**न्याचार, जिसका पालन किया जाना है**
1	वेंडर का जीएसटीआईएन	इसका सत्यापन मूल बीजक से किया जाए और मिलान न होने की स्थिति में परिवर्तन किया जाए । कोई भी परिवर्तन नीचे उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाए ।
2	भारतीय रेल का जीएसटीआईएन/राज्य जिसमें आईटीसी रिकॉर्ड है	
3	बीजक संख्या	
4	बीजक की तारीख	
5	जीएसटी दर	उपरोक्त चरणों का पालन किया जाए । इसके अतिरिक्त, इस परिवर्तन के लिए
6	कर की किस्म	

Scanned by CamScanner

<table>
<tr><td></td><td>(अर्थात् सीजीएसटी+एसजीएसटी से आईजीएसटी निकाला जा सकता है और विलोमत:)</td><td rowspan="2">आईपीएएस में जर्नल प्रविष्टि की जानी आवश्यक है । साथ ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि में ऐसे परिवर्तन अगली जीएसटीआर - 3बी रिटर्न में प्रस्तुत किए जाएं । इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां यह भी पाया गया हो कि आईपीएएस में ऐसी गलतियों के कारण वेंडरों को कम/अधिक भुगतान किया गया है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक भुगतान की राशि के प्रतिदाय की वसूली वेंडरों से की जाए और यदि वेंडरों को कम राशि का भुगतान किया गया है तो उसे उनमें संवितरित किया जाए ।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>करयोग्य मूल्य और जीएसटी की राशि</td></tr>
</table>

पिछले पृष्ठों में दी गई सभी गतिविधियां जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से और **राजपत्रित अधिकारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम का नहीं हो या उससे ऊपर के ग्रेड का हो, के पर्यवेक्षण में की जाएं।** जिस डाटा को सही किया जाना है, उसका पता लगाने के बाद डाटा को सही करने के लिए न्याचार के बारे में क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों को बताया जाए। **सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां यह कार्य 14 फरवरी 2020 तक अवश्य पूरा कर लें । इनपुट टैक्स क्रेडिट ना ले पाने के लिए इसमें अंतर्निहित वित्तीय पहलुओं को देखते हुए कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।**

(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

Scanned by CamScanner